न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

सीसीएमएस नं. 2024 / 117 दर्ज दिनांक– 07.03.2024

मुकदमा नम्बर 33 / 2024

सरदारा राम पुत्र गोमाराम जाति गुर्जर निवासी परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन चाहर

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 07.03.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 75 पुराना 67 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1607,1608,1609, 1673,1674,1676,1677 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम सरदार पुत्र गोमा के स्थान पर सरदारा राम पुत्र गोमा राम दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1269 दिनांक 29 / 04 / 2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 75 पुराना 67 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1607,1608,1609, 1673,1674,1676,1677 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम सरदार पुत्र गोमा के स्थान पर सरदारा राम पुत्र गोमा राम दर्ज व दुरूस्त किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय / आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner